

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

मुन्नी देवी पत्नी पदम कुमार जैन निवासी ज्योति कॉलोनी ऊंचा
बनाम

प्रहलाद पुत्र सूरजमल मीणा निवासी बरदपुरा वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए.

मुकदमा नंबर 31 /2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
03-04-24	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम बरदपुरा प.ह. अमरवासी आराजी सं. 192 कुल किता 01 रकबा 1.1736 हेक्टेयर भूमि स्थित है अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ोसी है अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावें प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है </p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2075 से 2078 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है ग्राम बरदपुरा प.ह. अमरवासी आराजी सं. 192 कुल किता 01 रकबा 1.1736 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को कमीशनर नियुक्त किया जाता है कमीशनर फीस 1000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रुपये राजकोष में जमा करावे पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें </p> <p>आदेश आज दिनांक 03/04/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया </p>	

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक/रीडर/2024/31/2024

दिनांक- 03/04/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय- प्र.सं. 31 / 2024 अनवान मुन्नी देवी पत्नी पदम कुमार जैन निवासी ज्योति कॉलोनी ऊंचा ब्रनाम प्रहलाद पुत्र सूरजमल मीणा निवासी बरदपुरा, शयोजी पुत्र सोमा मीणा निवासी बरदपुरा, बसंती पुत्र प्रहलाद मीणा निवासी बरदपुरा, हरकचंद पुत्र राजमल जैन निवासी बरदपुरा, शयोजीराम पुत्र फुमाराम मीणा निवासी बरदपुरा, रामरतन पुत्र फुमा राम मीणा निवासी बरदपुरा, सोराज पुत्र फूमा राम मीणा निवासी बरदपुरा, खेमराज पुत्र गंगाराम मीणा निवासी बरदपुरा, हरचंदा पुत्र गंगाराम मीणा निवासी बरदपुरा, रंगलाल पुत्र गंगाराम मीणा निवासी बरदपुरा, रामकुमार पुत्र दुर्गा लाल मीणा निवासी बरदपुरा, संतकुमार पुत्र दुर्गा लाल मीणा निवासी बरदपुरा, रामकुंवार पुत्र गोरू मीणा निवासी बरदपुरा, भवानी शंकर पुत्र सुखाराम मीणा निवासी बरदपुरा, तहसीलदार जहाजपुरकी पत्थरगढ़ी की पालना करने बाबत ।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम बरदपुरा प.ह. अमरवासी आराजी सं. 192 कुल किता 01 रकबा 1.1736 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 1000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी

जहाजपुर जिला शाहपुरा